रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6—जून 12, 2009 (ज्येष्ठ 16, 1931)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6—JUNE 12, 2009 (JYAISTHA 16, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 565

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 513

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 71

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1041

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1889

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 3795

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 179

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—91 GI/2009

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 565

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 513

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 71

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1041

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1- Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1889

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 3795

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 179

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 2009

सं. 42-प्रेज/2009--नं. 2984586 हवलदार (तब लांस नायक) प्रमेश्वर राम, 24 राजपूत को इस सचिवालय द्वारा 26 जनवरी, 1993 की अधिसूचना सं. 66-प्रेज/93 के अन्तर्गत प्रदान किया गया शौर्य चक्र एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. एफ 9-3/2002-यू-3--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को "सम-विश्वविद्यालय" घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नीकल साईंसेज, चैन्नई, तमिलनाडु जिसमें (i) सविता डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, चैन्नई, (ii) सविता कालेज ऑफ नर्सिंग, चैन्नई तथा (iii) सविता कालेज ऑफ फिजियोथैरेपी, चैन्नई को इस मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'सम-विश्वविद्यालय संस्था' घोषित किया जाता है।

3. और जबकि सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्नीकल साईंसेज ट्रस्ट, चैन्नई नामक सम-विश्वविद्यालय संस्था की प्रायोजक ट्रस्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुमोदन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 23.6.2008 के पत्र संख्या एफ संख्या 12012/497/2007-एमई (पी-II) के तहत् चैन्नई में थंडालम में एक नए मेडिकल कालेज (सविता मेडिकल कालेज) की स्थापना की है।

4. और जबकि सम-विश्वविद्यालय संस्था ने सविता मेडिकल कालेज, थंडालम को मौजूदा सम-विश्वविद्यालय संस्था की आनुषंगिक ईकाई के रूप में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।

5. और जबकि उक्त सम-विश्वविद्यालय संस्था से एम.बी.ए. और एम.सी.ए. के नए विभाग शुरू करने के लिए पृथक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

6. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2008 के अपने पत्र संख्या एफ 6-15/2004 (सीपीपी-I) के तहत (i) सविता मेडिकल कालेज, चैन्नई, (ii) चैन्नई स्कूल आफ मैनेजमेंट तथा (iii) सविता स्कूल आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, चैन्नई को सविता इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड टेक्नीकल साईसेज, चैन्नई के तत्वावधान में लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सिफारिश की है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 के अपने पत्र संख्या एफ 6-15/2004 (सीपीपी-I) के तहत यह सलाह दी है कि सविता मेडिकल कालेज, चैन्नई को सविता इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड टेक्नीकल साईसेज के तत्वावधान में चालू शैक्षिक वर्ष 2008-09 से शामिल करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

7. अतएव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर सविता मेडिकल कालेज, चैन्नई को सविता इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड टेक्नीकल साईसेज 'सम-विश्वविद्यालय', चैन्नई के तत्वावधान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा उससे सम्बद्ध शर्तों के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सांविधिक शिक्षण यूनिट (बाह्य परिसर केन्द्र के रूप में) घोषित करती है।

8. सविता इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड टेक्नीकल साईसेज द्वारा अपने नए विभागों के रूप में एम.बी.ए. तथा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के पैरा संख्या 15 (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में विचार किया जाएगा।

9. उक्त पैरा 7 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर आधारित हैं।

10. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सविता मेडिकल एण्ड टेक्नीकल सांईसेज, चैन्नई को अथवा अपनी किसी सांविधिक शिक्षण यूनिट को योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान सहायता प्रदान नहीं करेगा।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2009

सं. एफ.-9-6/2008-यू.-3 (ए)--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को 'समविश्वविद्यालय' घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव परिषद, जयपुर से जयपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बालिका कॉलेज (स्वायत्तशासी) को "आईआईएस विश्वविद्यालय" के नाम और तौर तरीकों के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'समविश्वविद्यालय' घोषित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है तथा दिनांक 24.10.2008 के अपने पत्र संख्या एफ. 38-1/2008 (सीपीपी-I) द्वारा पाँच वर्षों के बाद समीक्षा के विषयाधीन "आईआईएस विश्वविद्यालय" को 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है;

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनन्तिम रूप से पाँच वर्षों की अवधि के लिए उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ अंतर्राष्ट्रीय बालिका कॉलेज, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान को "आईआईएस विश्वविद्यालय" के नाम से एतद् द्वारा 'समविश्वविद्यालय संस्था' घोषित करती है:

(i) अंतर्राष्ट्रीय बालिका कॉलेज, जयपुर "आईआईएस विश्वविद्यालय" के नाम से उसी दिनांक से 'समविश्वविद्यालय' होगा जिस दिनांक से यह अपने संबंद्धन विश्वविद्यालय अर्थात राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्धन समाप्त कर लेता है;

(ii) "आईआईएस विश्वविद्यालय" को प्रदान किए गए समविश्वविद्यालय दर्जे की समीक्षा पाँच वर्षों के बाद विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की जाएगी;

(iii) उपर्युक्त की गई घोषणा में केवल गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बालिका कॉलेज तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धन के तहत उक्त कॉलेज द्वारा आयोजित किए जा रहे अकादमिक पाठ्यक्रमों तथा उन पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा जिन्हें भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रासंगिक संबंधित सांविधिक परिषद के मानदंडों के अनुसार शुरू किया जाएगा;

5. "आईआईएस विश्वविद्यालय" को प्रदान किए गए दर्जे की पाँच वर्षों की अवधि के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई समीक्षा और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी;

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने/उनका अनुपालन करने की शर्त के भी अधीन है;

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आईआईएस विश्वविद्यालय को कोई योजनागत अथवा योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेगें।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2009

सं. एफ.-10-22/2008-यू.-3 (ए)--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "समविश्वविद्यालय" के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 9-53/2005-यू.3 दिनांक 4 अगस्त, 2008 के तहत उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ अस्थायी तौर पर पांच वर्षों की अवधि के लिये नई श्रेणी के तहत श्रीबालाजी विद्यापीठ, पुडुचेरी जिसमें महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी भी शामिल है, को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा के विषयाधीन एक सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया गया था;

3. और जबकि, सम-विश्वविद्यालय संस्थान ने अपने परिधि क्षेत्र में श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से नेलीकुप्पम गांव, चेंगालपत्तु तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एक परिसर बाह्य केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अगस्त, 2008 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

4. और जबकि, श्रीबालाजी शैक्षिक एवं धर्मार्थ सार्वजनिक न्यास, पुडुचेरी के नाम से प्रायोजक सम-विश्वविद्यालय न्यास ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), भारत सरकार से पत्र संख्या एफ सं. यू. 12012/498/2007-एमई (पी-I) दिनांक 17.9.2008 के अनुमोदन के माध्यम से 150 विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता के साथ अकादमिक वर्ष 2008-09 से नेलीकुप्पम गांव में एक नये मेडिकल कॉलेज (श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से) की स्थापना की है;

5. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्र सं. एफ. 36-1/2008(सीपीपी-I) दिनांक 7 जनवरी, 2009 के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को श्रीबालाजी विद्यापीठ,

सम-विश्वविद्यालय संस्थान, पुडुचेरी को श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, नेलीकुप्पम गांव में वर्तमान अकादमिक वर्ष से शुरू करने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है। परंतु यह 3 वर्षों के लिये प्रत्येक वर्ष तथा उसके बाद 5 वर्षों के बाद समीक्षा के विषयाधीन होगा।

6. अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा घोषणा करती है कि "श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान", नेलीकुप्पम गांव, चेंगालपत्तु तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु श्रीबालाजी विद्यापीठ, सम-विश्वविद्यालय संस्थान, पुडुचेरी के परिधि क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ इसका एक परिसर बाह्य केन्द्र होगा, और इसलिए वर्तमान अकादमिक वर्ष से इस शर्त के विषयाधीन कि उपर्युक्त मेडिकल संस्थान की कार्य प्रणाली और निष्पादन का प्रथम 3 वर्षों के लिये प्रत्येक वर्ष तथा उसके बाद 5 वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी;

7. उपर्युक्त पैरा 6 में की गयी उद्घोषणा उन शर्तों को पूरा करने/अनुपालन करने के अधीन भी है जिनका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्र.सं. 5 में किया गया है।

8. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग श्रीबालाजी विद्यापीठ अथवा इसकी घटक शिक्षण इकाइयों को योजनागत और योजनेतर के रूप में कोई सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ.-9-42/2006-यू.-3 (ए)--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "समविश्वविद्यालय" के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत जुलाई, 2006 में कोनेरू लक्ष्मैय्या इंजीनियरी कॉलेज, ग्रीन फील्ड, जिला गंटूर, आंध्र प्रदेश से "समविश्वविद्यालय" का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसके अतिरिक्त 'कोनेरू लक्ष्मैय्या एजुकेशन फाउंडेशन', गवर्नरपेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के नाम से जो कोनेरू लक्ष्मैय्या इंजीनियरी कॉलेज चला रहा, को 'समविश्वविद्यालय' दर्जा प्रदान करने के संबंध में एक संशोधित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच की है तथा पत्र सं. एफ. 10-2/2007 (सीपीपी-I) दिनांक 09.01.2009 के माध्यम से कोनेरू लक्ष्मैय्या एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्ड, वद्देस्वरम को इस शर्त के आधार पर सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की सिफारिश की है कि यह दर्जा प्रदान करने के बाद पांच वर्ष की अवधि में इसके निष्पादन की समीक्षा की जाएगी।

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से निम्नलिखित शर्तों के अधीन "कोनेरू लक्ष्मैय्या एजुकेशन फाउंडेशन" विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को एतद्द्वारा "समविश्वविद्यालय संस्था" घोषित करती है :

(i) कोनेरू लक्ष्मैय्या एजुकेशन फाउंडेशन अपने संगठित शिक्षण एकक के रूप में "कोनेरू लक्ष्मैय्या इंजीनियरी कॉलेज", ग्रीन फील्ड, कंचनपल्ली पोस्ट, वद्देस्वरम, जिला गंटूर, आंध्र प्रदेश को शामिल करेगा;

(ii) कोनेरू लक्ष्मैय्या एजुकेशन फाउंडेशन अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, जिला गंटूर, आंध्र प्रदेश संबंधन समाप्त होने की तारीख से कोनेरू लक्ष्मैय्या इंजीनियरी कॉलेज की नाम पद्धति से "समविश्वविद्यालय संस्था" होगा।

(iii) उपर्युक्त घोषणा में केवल उन्हीं अकादमिक पाठ्यक्रमों को शामिल करेगा जो इस समय आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय के संबंधन के अंतर्गत उपर्युक्त कोनेरू लक्ष्मैय्या इंजीनियरी कॉलेज द्वारा संचालित किए जाते हैं और भविष्य में केवल उन पाठ्यक्रमों को शुरू करेगा जो अपेक्षित संबंधित सांविधिक परिषदों (जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुरूप हो।

(iv) कोनेरू लक्ष्मैय्या शिक्षा प्रतिष्ठान अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कोनेरू लक्ष्मैय्या इंजीनियरी कॉलेज के अनुमोदित अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में केवल अगले अकादमिक वर्ष अर्थात 2009-2010 से ही विद्यार्थियों को दाखिला देगा।

(v) कोनेरू लक्ष्मैय्या शिक्षा प्रतिष्ठान को प्रदान किए गए 'सम-विश्वविद्यालय' दर्जे की पाँच वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी।

(vi) कोनेरू लक्ष्मैय्या शिक्षा प्रतिष्ठान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट मानकों और मानदण्डों का अनुरक्षण करेगा।

5. इस उद्घोषणा कि कोनेरू लक्ष्मैय्या शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाडा 'सम-विश्वविद्यालय' संस्था होगा, के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की उपर्युक्त समीक्षा तथा इसके बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी।

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के कम संख्या 4 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने/इनका अनुपालन करने के भी अधीन है।

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोनेरू लक्ष्मैय्या शिक्षा प्रतिष्ठान अथवा इसकी संघटक यूनिट/यूनिटों को कोई योजनागत अथवा योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेगी।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ.-9-19/2000-यू.-3--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "समविश्वविद्यालय" घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर इस मंत्रालय की दिनांक 13 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 9-19/2000-यू.3(ए) के माध्यम से के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, बेलगाम, कर्नाटक जिसमें (i) के.एल.ई. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा कॉलेज सोसायटी, बेलगाम और (ii) के.एल.ई. दंत चिकित्सा विज्ञान सोसायटी संस्थान, बेलगाम, शामिल है, को अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समीक्षा के विषयाधीन उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ पाँच वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर समविश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया है;

3. और जबकि, इसके अतिरिक्त समविश्वविद्यालय संस्थान ने अगस्त, 2006 में कर्नाटक राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित सात संस्थाओं को अपने परिधि क्षेत्र में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

4. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 18 मार्च, 2008 के पत्र सं. एफ. 6-44/2004 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निम्नलिखित संस्थाओं को के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, समविश्वविद्यालय संस्थान, बेलगाम के परिधि क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की है, परंतु यह अन्य बातों के साथ-साथ इन शर्तों के विषयाधीन होगा कि (i) के.एल.ई. दंत चिकित्सा विज्ञान, संस्थान, बंगलौर को शामिल किया जाना डीसीआई (भारतीय दंत चिकित्सा परिषद) के मानदण्डों के अनुसार संकाय सदस्यों की पूर्ति के विषयाधीन होगा और (ii) इन संस्थाओं के सम्पूर्ण निष्पादन का अनुवीक्षण प्रथम तीन वर्षों के लिए वार्षिक तौर पर तथा उसके बाद पाँच वर्षों बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाएगा :

(i) के.एल.ई. दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बंगलौर
(ii) के.एल.ई. फार्मेसी कॉलेज, बंगलौर
(iii) के.एल.ई. फार्मेसी कॉलेज, हुबली
(iv) के.एल.ई. फार्मेसी कॉलेज, बेलगाम
(v) के.एल.ई. नर्सिंग विज्ञान संस्थान, बेलगाम
(vi) के.एल.ई. फिजियोथैरेपी संस्थान, बेलगाम
(vii) बी.एम. कनकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम

5. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से, निम्नलिखित छः संस्थाओं को के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, सम-विश्वविद्यालय संस्थान, बेलगाम के परिधि क्षेत्र में इसकी शिक्षण घटक इकाइयों के रूप में उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ शामिल करती है, परन्तु यह इन शर्तों के विषयाधीन होगा कि (i) इन संस्थाओं को सम-विश्वविद्यालय संस्था की घटक इकाइयों के रूप में घोषणा उसी दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक से ये अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात राजीव गाँधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बंगलौर से असंबद्धता प्राप्त कर लेते हैं, (ii) के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी निम्नलिखित संस्थाओं के अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में अपने नामांकन के तहत विद्यार्थियों का दाखिला केवल अकादमिक वर्ष 2009-2010 से शुरू करेगा और कि (iii) इन संस्थाओं के सम्पूर्ण निष्पादन का अनुवीक्षण एक विशेषज्ञ समीक्षा समिति के माध्यम से शुरूआती तीन वर्षों के लिए वार्षिक तौर पर तथा उसके बाद पाँच वर्षों के बाद किया जाएगा :

(i) के.एल.ई. सोसायटी फार्मेसी कॉलेज, बंगलौर (परिसर-बाह्य केन्द्र)
(ii) के.एल.ई. सोसायटी फार्मेसी कॉलेज, हुबली (परिसर बाह्य केन्द्र)
(iii) के.एल.ई. सोसायटी फार्मेसी कॉलेज, बेलगाम
(iv) के.एल.ई. सोसायटी नर्सिंग विज्ञान संस्थान, बेलगाम
(v) के.एल.ई. सोसायटी फिजियोथैरेपी संस्थान, बेलगाम
(vi) श्री बी.एम. कनकनवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम (परिसर बाह्य केन्द्र)

ऐसी समीक्षाओं के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रबंधन, अकादमिक विकास एवं सुधार के मामलों में दिए गए दिशा-निर्देश दोनों 'सम-विश्वविद्यालय' एवं इसकी घटक शिक्षण इकाइयों पर लागू होंगे।

6. के.एल.ई. सोसायटी दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान को इस अधिसूचना के माध्यम से के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, बेलगाम के परिधि क्षेत्र में इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति ने इस संस्थान में संकाय सदस्यों (दंत चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षण कर्मियों) से संबंधित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) के मानदण्डों की अनुपालना नहीं करने से संबंधित कुछ कमियों को दर्शाया है;

7. उपर्युक्त पैरा 5 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम सं. 9 में बताई गई अन्य शर्तों की पूर्ति के भी विषयाधीन होगी;

8. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के.एल.ई. उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों को किसी तरह की योजनागत या योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd May 2009

No. 42-Pres/2009—The Shaurya Chakra awarded to No. 2984586 Hav (then Lance Naik) Parmeshwar Ram, 24 RAJPUT vide this Secretariat Notification No. 66-Pres/93 dated 26 January, 1993 is hereby cancelled.

BARUN MITRA
Joint Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 14th January 2009

No. F- 9-3/2002-U.3—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed to be university.

2. And whereas, on the advice of the UGC, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, Tamil Nadu, comprising (i) Saveetha Dental College and Hospital, Chennai, (ii) Saveetha College of Nursing, Chennai and (iii) Saveetha College of Physiotherapy, Chennai, was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University' for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's notification of even number dated the 18th March, 2005;

3. And whereas, the Trust sponsoring the Institution Deemed-to-be-University namely Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences Trust, Chennai, has, with the approval of the Medical Council of India and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India vide letter No.F.No.12012/497/2007-ME(PII) dated 23.06.2008, established a new medical college (Saveetha Medical College) at Thandalam in Chennai;

4. And further whereas, the Institution Deemed-to-be-University has submitted a proposal for including Saveetha Medical College, Thandalam, as the Constituent Unit of the existing Institution Deemed-to-be-University;

5. And whereas, a separate proposal has also been received from the said Institution Deemed-to-be-University for starting M.B.A. and M.C.A. courses as its new departments;

6. And whereas, the UGC vide its communication bearing No.F.6-15/2004(CPP-I) dated the 24th October, 2008 has recommended to the Ministry of Human Resource Development for bringing (i) Saveetha Medical College, Chennai, (ii) Saveetha School of Management, Chennai and (iii) Saveetha School of Computer Application, Chennai, under

the ambit of Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, and the UGC vide its communication No.F.6-15/2004(CPP-I) dated 17th December, 2008 has further advised that ex post facto approval be granted for inclusion of Saveetha Medical College, Chennai, under the ambit of Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences from the current academic year, i.e. 2008-2009;

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby declare that Saveetha Medical College, Chennai, shall be a constituent teaching unit (as an off-campus centre) under the ambit of Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, 'Institution Deemed-to-be-University', Chennai, for the purposes of the aforesaid Act for conduct of academic course/programme as per the permission granted by the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), New Delhi, and the conditions attached thereto;

8. The proposal relating to starting of M.B.A. and M.C.A. courses by Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, as its new departments, shall be considered by the UGC in accordance with the provisions of Para No.15(ii) of the guidelines prescribed by the Commission for considering proposals for declaring an institution as deemed-to-be-university under Section 3 of the UGC Act, 1956;

9. The declaration as made in Para 7 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this notification;

10. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, or any of its constituent teaching unit.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

The 2nd February 2009

No. F. 9-6/2008-U.3(A)—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an "Institution Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from Indian Council for International Amity, Jaipur seeking to declare International College for Girls (Autonomous) at Jaipur as a 'Deemed-to-be-University' in the name and style of "IIS University", under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the UGC has examined the said proposal and vide its communication bearing No.F.38-1/2008(CPP-I) dated 24.10.2008 has recommended conferment of status of 'deemed to be university' in the name of "IIS University", subject to review after five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare the International College for Girls located at Gurukul Marg, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan, as an "Institution Deemed-to-be-University", in the name and style of "IIS University", for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, subject to the following conditions:

(i) International College for Girls, Jaipur, shall become an "Institution Deemed-to-be-University" with the nomenclature of "IIS University" with effect from the date of its disaffiliation from its affiliating university, viz., University of Rajasthan, Jaipur;

(ii) The status of 'deemed to be university' conferred on 'IIS University' shall be reviewed by the UGC, through an Expert Committee, after a period of five years;

(iii) The declaration as made above shall cover only the International College for Girls located at Gurukul Marg, Mansarovar, Jaipur and the academic courses conducted hitherto by the said College under affiliation to the University of Rajasthan and those courses that it may start in future as per the norms of the UGC and the relevant Statutory Council(s) concerned.

5. The status conferred on 'IIS University' shall be confirmed after a period of five years on the basis of review to be conducted by the UGC through an Expert Committee and recommendation of the UGC thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is also subject to fulfillment / compliance of the further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to IIS University.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

The 20th February 2009

No. F. 10-22/2008-U.3(A)—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare. on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas, on the advice of the UGC, Sri Balaji Vidyapeeth, Puducherry, comprising Mahatma Gandhi Medical College & Research Institute, Puducherry, was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University', under '*De Novo*' category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, vide this Ministry's notification No.9-53/2005-U.3 dated the 4th August, 2008, subject to a review at the end of each year;

3. And further whereas, the Institution "Deemed-to-be-University" has submitted a proposal in August 2008, seeking permission for establishment of an off-campus centre at Nellikuppam Village in Chengalpattu Taluk, Kancheepuram District, Tamil Nadu in the name and style of "Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute" under its ambit;

4. And whereas, the Trust sponsoring the Institution Deemed-to-be-University namely Sri Balaji Educational and Charitable Public Trust, Puducherry, has, with the approval of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), Government of India vide letter No.F.No.U.12012/498/2007-ME(PII) dated 17.09.2008, established a new medical college (in the name of 'Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute') at Nellikuppam Village from the academic year 2008-2009 with an intake capacity of 150 students;

5. And whereas, the UGC vide its communication bearing No.F.36-1/2008 (CPP-I) dated the 7th January, 2009 has recommended to the Ministry of Human Resource Development to allow Sri Balaji Vidyapeeth, Institution Deemed-to-be-University, Puducherry, to start 'Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute' at Nellikuppam Village from the current academic year subject to annual review for three years and subsequently after five years;

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby declare that 'Shri Sathya Sai Medical College and Research Institute' at Nellikuppam Village, Chengalpattu Taluk, Kancheepuram District, Tamil Nadu, shall be a constituent teaching unit under the ambit of Sri Balaji Vidyapeeth, Institution Deemed-to-be-University, Puducherry, as an *off-campus* centre, for the purposes of the aforesaid Act for conduct of academic course/programme as per the permission granted by the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), New Delhi, and the conditions attached thereto, from the current academic year, subject to a condition that the performance and functioning of the aforementioned Medical Institute shall be initially reviewed on annual basis for three years, and subsequently after five years;

7. The declaration as made in Para 6 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this notification;

8. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Sri Balaji Vidyapeeth or any of its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

No. F. 9-42/2006-U.3(A)—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an "Institution Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from Koneru Lakshmaiah College of Engineering, Green Fields, Vaddeswaram, Guntur District, Andhra Pradesh in July, 2006 seeking to be declared as an 'Institution Deemed-to-be-University" under Section 3 of the UGC Act, 1956 and further, a revised application was received in June, 2007 seeking status of 'deemed-to-be-university' in the name of 'Koneru Lakshmaiah Education Foundation', Governorpet, Vijayawada, Andhra Pradesh that was running Koneru Lakshmaiah College of Engineering;

3. And whereas, the University Grants Commission (UGC) has examined the said proposal and vide its communication bearing F.No.10-2/2007(CPP-I) dated the 09.01.2009, has recommended conferment of status of 'deemed to be university' to Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Green Fields, Vaddeswaram, subject to a review after five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby declare "Koneru Lakshmaiah Education Foundation", Vijayawada, Andhra Pradesh, as an "Institution Deemed-to-be-University", for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, subject to the following conditions:

(i) Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall comprise "Koneru Lakshmaiah College of Engineering, Greenfields, Kunchanapalli Post, Vaddeswaram, Guntur District, Andhra Pradesh, as its constituent teaching unit;

(ii) Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall become an "Institution Deemed-to-be-University" with effect from the date of disaffiliation of Koneru Lakshmaiah College of Engineering from its affiliating university, viz., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar, Guntur District, Andhra Pradesh;

(iii) The declaration as made above shall cover only those academic courses that are conducted hitherto by the said Koneru Lakshmaiah College of Engineering under affiliation to the Acharya Nagarjuna University and those courses that it may start in future as per the norms of the relevant Statutory Council(s) concerned (such as the AICTE, etc.) and the UGC;

(iv) Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall admit students to the approved academic courses/programmes of Koneru Lakshmaiah College of Engineering, under its ambit, only with effect from the next academic year, i.e. 2009-2010;

(v) The status of 'deemed-to-be-university' conferred on Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall be reviewed after a period of five years.

(vi) Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall maintain the standards and norms as are specified by the All India Council for Technical Education (AICTE) and the UGC from time to time.

5. The declaration that Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada is an Institution 'Deemed-to-be-University' shall be confirmed after a period of five years on the basis of the aforesaid review by an Expert Committee of the UGC and recommendations of the UGC thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is further subject to fulfillment / compliance of the conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Koneru Lakshmaiah Education Foundation or its constituent unit/units.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

No. F. 9-19/2000-U.3—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas, on the advice of the UGC, K.L.E. Academy of Higher Education and Research, Belgaum, Karnataka, comprising (i) K.L.E. Society's Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum and (ii) K.L.E. Society's Institute of Dental Sciences, Belgaum, as an 'Institution Deemed-to-be-University', for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, vide this Ministry's notification No.9-19/2000-U.3(A) dated the 13th April, 2006, subject *inter alia* to a review by the UGC;

3. And further whereas, the Institution "Deemed-to-be-University" had submitted a proposal in August 2006, for inclusion of seven institutions located in different places in the State of Karnataka, under its ambit;

4. And whereas, the UGC vide its communication bearing No.F.6-44/2004(CPP-I/DU) dated the 18th March, 2008 has recommended to the Ministry of Human Resource Development that the following institutions may be included under the ambit of K.L.E. Academy of Higher Education and Research, Institution Deemed-to-be-University, Belgaum, subject *inter alia* to the conditions that (i) the inclusion of K.L.E.'s Institute of Dental Sciences, Bangalore will be subject to fulfillment of requirement of faculty as per DCI (Dental Council of India) norms and (ii) the overall performance of these institutions shall be monitored annually, initially for three years, and subsequently after every five years by the UGC:

(i) K.L.E.'s Institute of Dental Sciences, Bangalore
(ii) K.L.E.'s College of Pharmacy, Bangalore
(iii) K.L.E.'s College of Pharmacy, Hubli
(iv) K.L.E.'s College of Pharmacy, Belgaum
(v) K.L.E.'s Institute of Nursing Science, Belgaum
(vi) K.L.E.'s Institute of Physiotherapy, Belgaum
(vii) B.M. Kankanwadi Ayurved Mahavidyalaya, Belgaum;

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby include the under-mentioned six institutions under the ambit of K.L.E. Academy of Higher Education and Research, Institution Deemed-to-be-University, Belgaum, as the latter's constituent teaching units, for the purposes of the aforesaid Act, subject to the conditions that (i) the declaration of these institutions as the constituent units of the Institution Deemed-to-be-University shall take effect from the date of their disaffiliation from their affiliating university, namely, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, Bangalore, (ii) K.L.E. Academy of Higher Education and Research shall admit students to the academic courses/programmes of the following institutions, under its enrolment, only with effect from the academic year 2009-2010; and that (ii) the overall performance of these institutions shall be monitored by the UGC, annually, through an Expert Review Committee, initially for three years, and subsequently after every five years:

(i) K.L.E. Society"s College of Pharmacy, Bangalore (Off-campus centre)
(ii) K.L.E. Society"s College of Pharmacy, Hubli (Off-campus centre)
(iii) K.L.E. Society's College of Pharmacy, Belgaum
(iv) K.L.E. Society's Institute of Nursing Science, Belgaum
(v) K.L.E.Society's Institute of Physiotherapy, Belgaum
(vi) Shri B.M. Kankanwadi Ayurved Mahavidyalaya, Belgaum (Off-campus centre);

The directions that shall be given by the UGC upon such 'reviews' in the matter of management, academic development and improvement shall be binding on both the 'Institution Deemed-to-be-University' and its constituent teaching units.

6. The K.L.E. Society's Institute of Dental Sciences, Bangalore, is not included under the ambit of K.L.E. Academy of Higher Education and Research, Belgaum, through this notification, due to the deficiencies reported by the Expert Committee of the UGC including that of non-compliance of the norms of the Dental Council of India (DCI) pertaining to faculty position at this institute (dental as well as medical teaching staff);

7. The declaration as made in Para 5 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.9 of the endorsement to this notification;

8. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to K.L.E. Academy of Higher Education and Research or any of its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2009